न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत** (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 68/2017
वादी :-

1. भरतसिंह पुत्र. नाथुसिंह
2. नरेन्द्रसिंह पुत्र नाथूसिंह जातियान राजपूत निवासीगण भगासनी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. विरेन्द्रसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी भगासनी तहसील बिलाडा
2. श्रीमति कल्याणकंवर पुत्री नाथूसिंह पत्नी राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी चावण्डा कालोनी बिंजवाडिया रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. श्रीमति हेमलता कंवर पुत्री नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी भगासनी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
4. श्रीमति वैद्यवती कंवर पुत्री नाथूसिंह पत्नी गुमानसिह जाति राजपूत निवासी राजियावास, तहसील भीनमाल जिला जालौर
5. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक बिलाडा जिला जोधपुर
6. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :- वादीगण - श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं.- 1 से 4- श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या - 6 सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :-** 21/04/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भगासनी तहसील बिलाका जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 36 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/2 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/4 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/5 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 123/8 रकबा 33 बीघा 09 बिस्वा कुल खसरा 6 कुल रकबा 108 बीघा 04 बिस्वा आयी हुयी है। उपरोक्त सयुक्त खातेदारी भूमि में वादी संख्या 1 का 1/7 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/7 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 2/7 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/7 हिस्सा. प्रतिवादी संख्या 4 का 1/7 हिस्सा है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। विवादग्रस्त भूमि पहले वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के तथा शिवकंवर के पिता नाथूसिंह जी की खातेदारी की थी। खातेदार नाथूसिंह के देहान्त के बाद उसके तीन पुत्र भरतसिंह, नरेन्द्रसिंह, वीरेन्द्रसिंह तथा चार पुत्रियों शिवकवर, कल्याणकंवर, वैद्यवंतीकवर, हेमलता कंवर के नाम से सयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की गयी। जिसमें से शिवकवर ने अपना सम्पूर्ण 1/7 वाँ हिस्सा अपने सगे भाई वीरेन्द्रसिंह को हकतर्क कर दिया। इस प्रकार नाथूसिंह की खातेदारी भूमि में बादी संख्या 1

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

का 1/7 वीं हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/7 वाँ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 2/7 व० हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/7 व० हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/7 व० हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/7 व० हिस्सा बनता है। वादीगण अपने हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कराने के अधिकारी है। ग्राम भगासनी तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 120/5 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा में अकेले अपने नाम से खातेदारी काश्तकारी की घोषित कराने हेतु प्रतिवादी संख्या 3 ने वादी के विरुद्ध माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष राजस्व वाद पेश किया, जो राजस्व बाद संख्या 19/2014 अनवान श्रीमति हेमलताकंबर बनाम नरेन्द्रसिंह विचाराधीन चला और माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.07.2015 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 का विवादित भूमि खसरा नम्बर 120/5 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा में 1/7 व० हिस्सा का खातेदार घोषित कर अन्तिम निर्णय पारित कर दिया है जिसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण सख्या 756 स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार विवादित भूमि में यादी सख्या 1 का 1/7 व० हिस्सा. बादी संख्या 2 का 1/7 व० हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 2/7 वो हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/7 व० हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/7 व० हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 4 का 1/7 व० हिस्सा बनता है। जो वादीगण अपने हिस्से की भूमि का बटवाडा कराने के अधिकारीगण है। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 36 बीघा 09 बिस्वा खसरा नम्बर 120/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/2 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 120/4 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/5 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 123/8 रकबा 33 बीघा 09 बिस्वा कुल खसरा छ कुल रकबा 106 बीघा 04 बिस्वा सयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के द्वारा यादीगण के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है इस कारण यादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को तहसील में बलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 4 इसके लिए तैयार नही हुये तो वादीगण अपने 1/7- 1/7 हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से वादीगण की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना पड़ रहा है।

अन्त में निवेदन किया कि ग्राम भगासनी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 36 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/2 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/4 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/5 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 123/8 रकबा 33 बीघा 09 बिस्वा कुल खसरा छः कुल रकबा 106 बीघा 04 बिस्वा का बाई मीट्स एण्ड बाउन्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादी संख्या 1 का 1/7 वाँ हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/7 वां हिस्सा की भूमि अलग से वादीगण की अलग अलग खातेदारी में दर्ज कर अलग से लगान कायम कराये जाने का आदेश फरमाये। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण के बंट एवं

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

हिस्से की भूमि में न तो स्वय किसी प्रकार की दखल करे तथा न अन्य किसी से करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का दावा दिनांक 17.03.2020 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम भगासनी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 36 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/2 रकबा 1.1 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/4 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/5 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 123/8 रकबा 33 बीघा 09 बिस्वा कुल खसरा 6 कुल रकबा 106 बीघा 04 बिस्वा का बाई मीट्स एण्ड बाउन्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादी संख्या 1 का 1/7 वाँ हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/7 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 2/7 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 1/7 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 1/7 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 1/7 वां हिस्सा की भूमि का बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र. सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट)
1	कल्याणकंवर पुत्री नाथूसिंह हिस्सा 1/7 जाति राजपूत सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/7 (खसरा सं. 120/1 बिना रहन) इंडसइंड बैंक शाखा बिलाडा नरेंद्रसिंह पुत्र नाथूसिंह हिस्सा 1/7 जाति राजपूत सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/7 पूर्ण खाता आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा बिलाडा भरतसिंह पुत्र नाथूसिंह हिस्सा 1/7 जाति राजपूत सा.देह खातेदार वैद्यवतीकंवर पुत्री नाथूसिंह हिस्सा 1/7 जाति राजपूत सा.देह खातेदार विरेन्द्रसिंह पुत्र नाथूसिंह हिस्सा 2/7 जाति राजपूत सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 2/7 पूर्ण खाता आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा बिलाडा हेमलताकंवर पुत्री नाथूसिंह हिस्सा 1/7 जाति राजपूत सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/7 पूर्ण खाता आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा बिलाडा	120 120/1 120/2 120/5 123/8 123/8	0.1843 0.0728 0.1072 0.0404 0.0851 0.1
	कुल खसरा	6	0.5898
2	नरेन्द्रसिंह पुत्र नाथूसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा.देह खातेदार राहिन पूर्ण आईसीआईसीआई बैंक लिमिटैड शाखा बिलाडा	120 120/2 120/4 120/5 123/8	0.8162 0.2424 0.1121 0.453 0.7467
	कुल खसरा	5	2.3704

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

3	भरतसिंह पुत्र नाथूसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा. देह खातेदार	120 120/2 120/4 120/5 123/8	0.8162 0.2424 0.1121 0.453 0.7467
4	कल्याणकंवर पुत्री नाथूसिंह हिस्सा 1/5 जाति राजपूत सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/5 (खसरा सं. 120/1 बिना रहन) इंडसइंड बैंक शाखा बिलाडा वैद्यवतीकंवर पुत्री नाथूसिंह हिस्सा 1/5 जाति राजपूत सा.देह खातेदार विरेन्द्रसिंह पुत्र नाथूसिंह हिस्सा 2/5 जाति राजपूत सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 2/5 पूर्ण हिस्सा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा बिलाडा हेमलताकंवर पुत्री नाथूसिंह हिस्सा 1/5 जाति राजपूत सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/5 पूर्ण खाता आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा बिलाडा	120 120 120/2 120/4 120/5 123/8	2.0909 1.99 1.2121 0.5605 2.2653 3.7337

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 9.05.2025 के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव व बंटवाडा प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 09.05.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21/05/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादी बनाम प्रतिवादीगण
भरतसिंह विरेन्द्र वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीर्नेसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :- 68/2017

निर्णय **दिनांक :-** 21/04/26

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 से 4 की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 6 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव व बंटवाडा प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 09.05.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -
खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा